भारत में राजनीतिक संस्थाएं और महिलाओं की सहभागिताः लोकसभा चुनावों का एक विश्लेषण

*रामचंद्र पालीवाल

शोध सारांश

महिला सशक्तिकरण एक वैश्विक अवधारणा है जो महिलाओं को अपनी विशेष पहचान एवं शक्ति को सभी क्षेत्रों में महसूस करने के योग्य बनाती है। भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अपेक्षाकृत काफी कम है जो वैश्विक स्तर पर उनकी हीन दशा को चित्रित करती है। अतः यह शोध उनकी राजनीतिक भागीदारी का वर्णन करते हुए उनकी सक्रिय भूमिका के लिए उचित सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। भारतीय राजनीति में काफी महिलाएं उच्च राजनीतिक पदों तक पहुंची है परन्तु अभी भी उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है और महिला प्रतिनिधियों का संबंध संभ्रात वर्ग से हैं। अतः भारत में वास्तविक रूप में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तभी बढ़ सकती है जब उन्हें प्रतिनिधि संस्थाओं में उनकी आबादी के अनुपात में उचित आरक्षण दिया जाए।यह शोध मूलतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है जो गुणात्मक पद्धति अपनाते हुए विषय क्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन करता है।

I. परिचयः

भारत की राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी उनके सशक्तिकरण की शर्त ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति की सूचक है जो महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों एवं उनके समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। महिलाओं के लिए राजनीतिक दलों, निर्वाचनों, सामाजिक आंदोलनों जैसे औपचारिक राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेना पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना भी आवश्यक हैं। साथ ही उनकी राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी बढ़ाने के लिए उचित सुझाव भी प्रस्तुत करता है|

II. **भारतीय राजनीति का संस्थानात्मक दृष्टिकोण:** राजनीति संस्थाएं किसी सरकार में एक संगठन है जो कानून बनाने, और उसे लागू का कार्य करती है, ये संस्थाएं नीति-निर्माण, संघर्ष-समाधान, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और विनियमित करने के साथ-साथ जनसंख्या को प्रतिनिधित्व भी प्रदान करती है।2

*शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर|

प्रत्येक समाज के सामाजिक उद्देश्य होते हैं और राजनीतिक व्यवस्था इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाती है। मूल्यों और मानदंड़ों का पालन, कानून और व्यवस्था का रखरखाव और संगठित चैनलों और स्थापित प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्ता का अस्तित्व समाज में स्थिरता और व्यवस्था स्थापित करने के लिए अतिआवश्यक है।3 समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में दो संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। (1) राज्य (2) सरकार। राज्य सामाजिक नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण ईकाईयों में से एक है और सरकार राज्य का एक उपकरण है जिसके माध्यम से वह अपनी विभिन्न नीतियों का संचालन करती हैं।4

भारतीय राजनीति के अध्ययन में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के महत्व का प्रतिपादन इस दृष्टिकोण के समर्थक करते हैं। भारतीय राजनीतिक के संस्थानात्मक दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं का विशेष महत्व है। इस उपागम के समर्थक राज्य, सरकार, सरकार के विभिन्न अंगों, उसके संगठन के नियम, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य इत्यादि के अध्ययन पर विशेष बल देते है। उनका विचार है कि राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से ही राजनीतिक जीवन को आधार मिलता है। वास्तविक रूप में संस्थागत दृष्टिकोण उपागम के समर्थक वैध एवं औपचारिक पदों जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् आदि के पद एवं उनकी भूमिका के अध्ययन पर विशेष बल देते है। संस्थागत दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्वानों में बी.बी.जेना, ए. बी. लाल, डब्ल्यू. एच. मोरिस जॉन्स, मधु लिमये, आर. जे. वेंकटेश्वर आदि प्रमुख है। इन विद्वानों द्वारा भारत की राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संरचनात्मक दृष्टिकोण से किया गया है।5

इससे स्पष्ट होता है कि औपचारिक संस्थाओं के अतिरिक्त अनेक अनौपचारिक तत्वों एवं संस्थाओं द्वारा भी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाता है क्योंकि राजनीति संगठित समाज का अध्ययन है।6 हालांकि समकालीन राजनीतिक विद्वानों का कहना है कि मात्र संस्थाओं एवं कानूनी-शासकीय ढाँचें का ज्ञान अथवा अध्ययन ही राजनीतिक के मौलिक स्वरूप को स्पष्ट नहीं करता है। इस प्रकार भारतीय राजनीति में राजनीति संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है जो लोगों को लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रेरणा प्रदान करती है।7

प्राचीन भारतीय संस्कृति की अवधारणा पुरूषों एवं महिलाओं की समानता की समर्थक है जिसका आधार अर्दनारीश्वर की संकल्पना है। यह संकल्पना विकास, समृद्धि, सहयोग आदि पर आधारित है जो समान भागीदारी एवं सम्मान की बात करती है। यह तथ्य सर्वविदित है कि राजनीति का प्रमुख उद्देश्य देश का सर्वांगीण विकास है और यह तभी प्राप्त किया जा सकता है

जब समाज के प्रत्येक वर्ग की इसमें बराबर की भागीदारी हो। साथ ही इसका प्रतिफल समाज के प्रत्येक वर्ग को बिना किसी भेदभाव के बराबर मिले। अतः लिंग आधारित भेदभाव को मिटाकर तथा पुरूष और महिला को बराबरी का दर्जा देकर ही देश का विकास संभव है।8

भारतीय समाज के अंतर्गत महिलाओं ने सदैव सक्रिय योगदान एवं सहयोग दिया है। प्राचीन भारत में गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं ने शास्त्रों के निर्माण में अपना योगदान दिया। महिलाओं का योगदान केवल साहित्य और दर्शन तक ही सीमित न होकर प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने पूरा योगदान दिया। राजतंत्र में सम्राट के साथ बैठकर राज्य संचालन में बराबर की भागीदारी करती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर युद्धकाल के दौरान शस्त्र संचालन में भी निपुण थी।9 रामायणकाल में महारानी कैकयी ने देवासुर संग्राम में दशरथ के प्राण बचाये थे। इसी प्रकार भारतीय इतिहास में महारानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान जैसी महिलाओं ने अति-कुशलता से राज्य के शासन का संचालन किया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दोरान भी अनेक महिलाओं ने अपने सक्रिय योगदान द्वारा देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह स्वतंत्रता के बाद महिलाओं ने देश के अनेक हिस्सों में लोकतांत्रिक शासन का कुशल संचालन किया।10

वैदिक काल में महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा हासिल था और उस समय का समाज मातृसत्तात्मक था। अर्थात् परिवार की मुखिया महिला ही मानी जाती थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट आयी और मध्यकाल में इनकी स्थिति में काफी दयनीय हो गयी। हालांकि आधुनिक काल में महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी बढ़ी है जो कि एक सकारात्मक संकेत है; परंतु यह पर्याप्त नहीं है।11

वर्तमान में महिलाऐं पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं की नींव है और वे प्रशासनिक एवं राजनीतिक तंत्र में भी तेजी से अग्रसर हो रही है। हालांकि उनके समक्ष अनेक चुनौतियां है जिनका सफलतापूर्वक सामना करने के लिए उनमें नयी चेतना एवं जागरूकता निरंतर आ रही है जो उनको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि महिलाऐं सशक्त होकर राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी आगे आए और देश के विकास में अपना सक्रिय योगदान निभायें।12

लोकतंत्र का तात्पर्य सभी मानव व्यक्तियों अर्थात् पुरूषों और महिलाओं की समानता है; परंतु वास्तविक रूप में महिलाओं को इससे बाहर रखा गया है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में चाहे वह विकासशील हो या विकसित महिलाओं को इससे बाहर रखा गया है।13 आज भारत में मतदाता के रूप में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है लेकिन उनकी राजनीतिक भागीदारी उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है। हर स्तर पर राजनीतिक भागीदारी में पुरूषों का वर्चस्व है। हेनरी चाफे का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव गहरी जड़ों वाली संरचना में पाया जाता है।14

राजनीतिक भागीदारी का आशय है, न केवल मतदान के अधिकार का प्रयोग करना, बल्कि शक्ति साझा करना, सह-निर्णय लेना और राज्य के सभी स्तरों पर नीति निर्माण में भाग लेना।15 अर्थात् मतदान का अधिकार, सत्ता का बंटवारा, राजनीतिक दलों की सदस्यता, चुनावी अभियान, पार्टी-बैठकों में सक्रिय भाग लेना, चुनाव लड़ना और नीतिगत फैसलों में भागीदारी करना शामिल है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के सामानय लक्ष्यों को तय करने और इसे प्राप्त करने के सर्वोŸाम तरीके की तुलना में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी प्रभावशाली नहीं है।

विश्व की आधी आबादी होने के नाते महिलाएँ राजनीति पर व्यापक प्रभाव डालती है और विभिन्न राजनीतिक दल उन्हें वोट के लिए आकर्षित करने का प्रयास करते है। इससे महिला स्वतंत्रता को भी बढ़ावा मिलता है जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग होती है।16

900 मिलियन से अधिक भारतीय मतदाताओं में से लगभग 430 मिलियन महिलाएं है और हाल के वर्षो में उन्होंने पुरूषों की तुलना में बड़ी संख्या में मतदान किया है। लेकिन भारत के 29 राज्य विधानसभाओं और सात संघ शासित प्रदेशों में महिला प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी कम है।17 हाल ही में सम्पन्न 17वीं लोकसभा चुनाव में यह भागीदारी अपेक्षाकृत बढ़ी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इन चुनावों में 78 महिला सांसद चुनी गई है जो कुल सदस्यों का लगभग 15 प्रतिशत है। महिला सांसदों की दृष्टि से भारत अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे है।18 वैश्विक स्तर पर, केवल कुछ देशों में ही राजनीति में पुरूषों के साथ महिलाओं की बराबर भागीदारी है। जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैण्ड जैसे देशों में महिलाओं की राजनीति में सक्रिय भागीदारी है।20

1950 में, सार्वभौमिक मताधिकार ने सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 326 में निहित है। 1962 में लोकसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी की दर 46.63% थी और 1984 में बढ़कर 58.60% हो गई। उसी अवधि के दौरान पुरुष मतदान 1962 में 63.31% और 1984 में 68.18% था। समय के साथ पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच मतदान का अंतर कम हुआ है। यह 1962 में 16.7% का अंतर था और 2009 में 4.4% का अंतर था। पिछले 50 वर्षों में राष्ट्रीय चुनावों में मतदान प्रतिशत 50 से 60% के बीच स्थिर रहा है। राज्य चुनावों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखी गई है और कुछ मामलों में महिलाओं का मतदान पुरुषों से अधिक हो रहा है। भारत के 2014 के संसदीय आम चुनावों के दौरान महिलाओं का मतदान प्रतिशत 65.63% था; जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 67.09% था। भारत के 29 में से 16 राज्यों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया। भारत की संसद के लिए अप्रैल-मई 2014 के चुनावों में कुल 260.6 मिलियन महिलाओं ने मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता चुनावों में बढ़ी है।

भारत में महिला मतदाताओं की मतदान में भागीदारी लगभग पुरुष मतदाताओं के समान ही है और वे सक्रिय रूप से राजनीति में भाग ले रही हैं जो एक स्वस्थ परिपक्व लोकतंत्र के लिए अति-आवश्यक है। महिला मतदाताओं की यह भागीदारी उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को दर्शाती है। परन्तु अगर उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो वे अभी भी काफी पिछड़ी हुई हैं। देश की राजनीतिक संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है जो एक चिंता का विषय है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में अभी भी पुरुषों का ही प्रभुत्व है अतः इसे सुधारा जाना आवश्यक है ताकि महिलाएं समान रूप से राजनीति में भागीदार बन सकें। भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति का पता नीचे दी गई तालिका से पता चलता है। इस तालिका में 1952 से अब तक हुए लोकसभा चुनावों में महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति को रेखांकित किया गया है।

लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (1952-2019)

लोकसभा	वर्ष	कुल सांसद	महिला सांसद	प्रतिशत
पहली	1952	543	24	4.41
दूसरी	1957	537	24	4.49
तीसरी	1962	540	37	6.85
चौथी	1967	553	33	5.96
पांचवीं	1971	553	28	5.96
छठी	1977	557	21	3.77
सातवीं	1980	566	32	5.65
आठवीं	1984	567	45	7.93
नवीं	1989	534	28	5.24
दसवीं	1991	555	42	7.56
ग्यारहवीं	1996	551	41	7.44
बारहवीं	1998	546	44	8.50

तेरहवीं	1999	568	52	9.17
चौदहवीं	2004	586	52	8.87
पंद्रहवीं	2009	560	64	11.42
सौलहवीं	2014	573	68	11.86
सत्रहवीं	2019	542	78	14.39

स्रोतः लोकसभा वेबसाइट, भारत सरकार

उपरोक्त तालिकानुसार भारत में लोकसभा चुनावों में महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति देखें तो पता चलता है कि पहली लोकसभा में केवल 24 महिला सांसद थी जो कुल सांसदों का मात्र 4.41 प्रतिशत है। हालाँकि इसके बाद हुए विभिन्न चुनावों में इनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्तमान में सत्रहवीं लोकसभा में 78 महिला सांसद है जो कुल सांसदों का 14.39 प्रतिशत है। अगर हम अन्य लोकतान्त्रिक देशों से तुलना करें तो पता चलता है कि भारत की राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अपेक्षाकृत काफी कम है जो कि उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को बाधित करती है। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक उनका प्रतिनिधित्व केवल 10 प्रतिशत ही बढ़ पाया है। अतः भारतीय राजनीतिक संस्थाओं में उचित सुधार की आवश्यकता है ताकि महिलाओं को भी इन संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। राजस्थान विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग स्थिर रहा है। पिछले 40 वर्षों में राज्य की सियासत में महिलाओं की सिर्फ सक्रियता बढ़ पाई है, सक्रिय भागीदारी नहीं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली की सीमा मुस्तफा के अनुसार "विधायिकाओं में महिलाओं का न्यून प्रतिनिधित्व भारतीय राजनीति के पितृसत्तात्मक ढांचे के कारण है"।19

III. महिलाओं के कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण:

i. **लिंग संबंधी रूढ़ियाँ:** भारत में पारंपरिक रूप से घरेलू गतिविधियों के प्रबंधन की भूमिका महिलाओं को सौंपी गई है। महिलाओं को उनकी रूढ़ीवादी भूमिकाओं से बाहर

निकलने और देश की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

ii. **राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा:** राजनीति किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह प्रतिस्पर्द्धा का क्षेत्र है। अंततः महिला राजनेता भी प्रतिस्पर्द्धी ही मानी जाती हैं। भारत में कई राजनेताओं को भय है कि महिला आरक्षण लागू किये जाने पर उनकी सीटें बारी-बारी से महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षित की जा सकती हैं, जिससे वे अपनी सीटों से चुनाव लड़ सकने का अवसर गँवा सकते हैं।

iii. **राजनीतिक शिक्षा का अभाव:** शिक्षा महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। शैक्षिक संस्थानों में प्रदान की जाने वाली औपचारिक शिक्षा नेतृत्व के अवसर पैदा करती है और नेतृत्व को आवश्यक कौशल प्रदान करती है। महिलाओं में राजनीति की समझ की कमी के कारण वे अपने मूल अधिकारों और राजनीतिक अधिकारों से पूरी तरह से अवगत नहीं हैं।

iv. **पारिवारिक समस्याएं:** पारिवारिक देखभाल उत्तरदायित्वों के असमान वितरण का परिणाम यह होता है कि महिलाएँ घर और बच्चों की देखभाल में पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक समय देती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें अनेक सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करना पड़ता है।

v. **राजनीतिक नेटवर्क का अभाव:** जनीतिक निर्णय-निर्माण में पारदर्शिता की कमी और अलोकतांत्रिक आंतरिक प्रक्रियाएँ सभी नए प्रवेशकों के लिये चुनौती पेश करती हैं, लेकिन इससे महिलाएँ इससे विशेष रूप से प्रभावित होती हैं, क्योंकि उनके पास राजनीतिक नेटवर्क की कमी होती है।

vi. **संसाधनों की अल्पता:** भारत की आंतरिक राजनीतिक दल संरचना में उनके कम अनुपात के कारण, महिलाएँ अपने राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों के पोषण के लिये

संसाधन और समर्थन इकट्ठा करने में विफल होती हैं। महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिये राजनीतिक दलों से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती है।

vii. **सामाजिक शर्तें:** महिलाओं को अपने ऊपर अधिरोपित आदेशों को स्वीकार करना होगा और समाज का भार उठाना होगा। सार्वजनिक दृष्टिकोण न केवल यह निर्धारित करता है कि आम चुनाव में कितनी महिला उम्मीदवार विजयी होती हैं, बल्कि यह भी प्रभावित करती है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितनी महिला उम्मीदवारों को कार्यालय के लिये उचित माना और नामांकित किया जाता है।

viii. **अमैत्रीपूर्ण राजनीतिक वातावरण:** कुल मिलाकर राजनीतिक दलों का माहौल भी महिलाओं के अनुकूल नहीं है, उन्हें पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिये कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और कई स्तर पर अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजनीति में हिंसा बढ़ती जा रही है। अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, असुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि ने महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र से लगभग बाहर कर दिया है।

ix. **राजनीतिक दलों में सीमित प्रतिनिधित्व:** महिलाओं को राजनीतिक दलों में प्रायः कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है जिससे उनके लिये अपने दलों में विभिन्न पदों से गुज़रते हुए आगे बढ़ना और चुनाव के लिये दल का नामांकन प्राप्त करना काफी कठिन हो जाता है। प्रतिनिधित्व की इस कमी को राजनीतिक दलों के भीतर मौजूद लैंगिक पूर्वाग्रह और इस धारणा का परिणाम माना जा सकता कि महिलाएँ पुरुषों की तरह चुनाव जीतने योग्य नहीं होती हैं।

उपरोक्त सभी कारणों के कारण भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है। अतः सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए ताकि भारत में भी महिलाओं को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। हालांकि विभिन्न सरकारों ने इस दिशा में काफी प्रयास किए हैं परन्तु वे सफल नहीं हो सकें हैं।

यद्यपि भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार की स्वतंत्रता और समानता की गारंटी दी जिसमें प्रमुख रूप से अनुच्छेद 14, 15, 16, 325, 326 महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अनुच्छेद 243(डी) पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है। उपरोक्त संवेधानिक प्रावधानों के बावजूद राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। अर्थात् ये संविधान के उद्देश्यों के विरोधाभासी है|

IV. **निष्कर्षः** भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ानी है तो संसद में महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित करने के साथ-साथ राजनीतिक दलों के संविधान में भी आरक्षण की व्यवस्था करनी होगी जिससे राजनीति में उनकी भागीदारी निश्चित अनुपात में बढ़े। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता को बढ़ाकर महिलाओं के नेतृत्व और संचार कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे वे सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़कर समाज में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। वैश्विक स्तर पर यह देखा गया है कि जहां भी महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बेहतर प्रतिनिधित्व मिलता है, वहां समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास की बेहतर संभावना होती है अतः शासन में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके ही लैंगिक समानता स्थापित की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः

1. Dolan, Julie & others. *Women and Politics: Paths to Power & Political Influence*. New York: Rowman & Littlefield, 2019.
2. Quraishi, S.Y. *The Great March of Democracy: Seven Decades of India's Elections*. New Delhi: Penguin Viking, 2019.
3. Banrjee, Suparna & Nandini Ghosh. (ed.). *Caste and Gender in Contemporary India: Power, Privilege & Politics*. Delhi: Routledge, 2018.
4. Shankar, B.L. and V. Rodrigues. *The Indian Parliament: A Democracy at Work*. New Delhi: Oxford University Press, 2014.
5. Kothari, Rajni. *Politics in India*. New Delhi: Orient BlackSwan, 2012.
6. Rai, Shirin M.and Carole Spray. *Performing Representation: Women Members in the Indian Parliament*. New Delhi: Oxford Uni. Press, 2018.
7. Rai, Praveen. "Women's Participation in Electoral Politics in India: Silent Feminisation." *South Asia Research*, 37, no.1 (2017).

8. Benival, Anju. *Women in Indian Society*. New Delhi: Partridge Publishing, 2014.
9. Sinha, Niroj. *Women in Indian Politics: Empowerment of Women through Political Participation*. New Delhi: Gyan Publishing, 2000.
10. Gandhi, Gaurav. *Indian Women in Politics*. New Delhi: Random Publications, 2012.
11. Hust, Evelin. *Women's Political Representation Empowerment in India*. Delhi: Manohar, 2004.
12. Forbes, Geraldine. *Women in Modern India*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
13. Tadros, Mariz. (ed.)*Women in Politics: Gender, Power and Development*. London: Zed Books, 2015.
14. Chadha, Anuradha. Political participation of women: A case study in India, *International Journal of Sustainable Development*, (May, 2014) Vol. 07, No.2, pg. 91-108.
15. Paxton, Pamela & Melanie M. Hughes. *Women, Politics & Power: A Global Persperctive*. London: Sage, 2014.
16. Hoodfar, Homa &Mona Tejali. *Electoral Politics: Making Quotas work for Women. London*: Women Living Under Muslim Laws, 2011.
17. Sharma, Eliza. "Women and Politics: A case study of Political Empowerment of Indian Women". *International Journal of Sociology & Social Policy*, 13 April, 2020.
18. Ibid.
19. Sharma, Menaka. "Rajasthan ki Rajniti me Mahilayen." *Vidhan Bodhini* 23, ank.4 (Oct., 2016).
20. Flavia, Agnes. *Law and Gender Inequality: The Politics of Women Rights in India*. New Delhi: Oxford University Press, 2001